



2026:AHC: 42163-DB

निर्णय सुरक्षित :- 4.2.2026

निर्णय पारित :- 25.2.2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2328/2003

तिलक धारी मौर्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: ए.पी. मिश्रा, आदर्श शुक्ला, मोहम्मद अख्तर, सूफिया बानो
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद अख्तर; राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या-3) वाराणसी द्वारा सत्र विचारण संख्या 127 वर्ष 2003 (राज्य बनाम तिलक धारी मौर्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.05.2003 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये जुर्माने; और धारा 376/511 भा.द.सं. के अंतर्गत पाँच वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000/- रुपये जुर्माने; तथा धारा 201 भा.द.सं. के अंतर्गत पाँच वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये जुर्माने की सजा से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है, तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में अपीलार्थी को क्रमशः एक वर्ष, छह माह और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 20.12.2002 को लगभग 20:30 बजे, सूचनादाता छेदी लाल मौर्य ने थाना कपसेठी में एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि आज शाम 7:30 बजे अपीलार्थी, तिलक धारी मौर्य ने आकर उसे और अन्य ग्रामीणों को सूचित किया कि वह राज कली मौर्य की पुत्री कुमारी प्रमिला देवी आयु लगभग 12-13 वर्ष के साथ दवा लेने चोरी गया था। जब वह वापस लौट रहा था और दुलतिया मोड़ के पास पहुँचा, तो पैंट और शर्ट पहने 20-21 वर्ष की आयु के तीन लड़कों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उसे लातों, घूँसों और ईंटों से पीटने के बाद उसकी साइकिल और लड़की को दक्षिण दिशा की ओर ले गए। घटना शाम 6 बजे हुई थी। वह गाँव में दौड़ते हुए आया था और घटना की जानकारी दे रहा था। तिलक धारी मौर्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के आधार पर, तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 136 वर्ष 2002, धारा 364 भा.द.सं. के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

4. इस वाद की विवेचना मोहम्मद सिद्दीकी को सौंपी गई थी, जिन्होंने गाँव के बाहर "नाला" के पास घास में मृतक कुमारी प्रमिला देवी का शव बरामद किया। पंचायतनामा की कार्यवाही की गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

5. शव की बरामदगी के बाद, वाद को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया और तदनुसार जी.डी. प्रविष्टि बदली गई। विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को 21.12.2002 को गिरफ्तार किया गया और धारा 302, 376/511, 201 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोपित किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा मृतक के योनि स्वाब में कोई शुक्राणु या वीर्य नहीं पाया गया।

6. अपीलार्थी को धारा 302, 376/511 और 201 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोपित किया गया। उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियोजन पक्ष के वाद को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने पी.डब्ल्यू.1, श्रीमती झमना देवी पत्नी राजबली; पी.डब्ल्यू.2, जामवंत चौहान; पी.डब्ल्यू.3, छेदी लाल; पी.डब्ल्यू.4, श्रीमती राज कुमारी यादव; पी.डब्ल्यू.5, डॉ. जे.पी. त्रिपाठी; पी.डब्ल्यू.6, एस.आई. परमहंस जी तिवारी; पी.डब्ल्यू.7, एस.आई. मोहम्मद सिद्दीकी; पी.डब्ल्यू.8, कांस्टेबल फूल चंद्र यादव; पी.डब्ल्यू.9, कांस्टेबल दिनेश; पी.डब्ल्यू.10, राजबली; पी.डब्ल्यू.11, जवाहर मौर्य और पी.डब्ल्यू.12, एस.आई. उदय राज यादव को परीक्षित किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अभियुक्त-अपीलार्थी का बयान धारा 313 भा.द.सं. (द.प्र.सं.) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह मृतक को दवा दिलाने के लिए ले गया था, क्योंकि वह पेट दर्द से पीड़ित थी। इससे पहले भी वह उसे उसके पिता के साथ दो बार ओझा के पास ले गया था। उसने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना हुई थी और उसने ग्रामीणों को सूचित किया था, लेकिन कहा कि निरीक्षण ने असली अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर लिया था और उसे इस वाद में झूठा फँसाया था।

9. पी.डब्ल्यू.1, श्रीमती झमना देवी ने बताया कि जब उनकी बेटी शाम को वापस नहीं लौटी, तो वह शाम 7:00 बजे अपीलार्थी के घर गई और उसने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी का मुँह बंद करके चोरों ने अपहरण कर लिया है और चोर उसकी साइकिल भी ले गए हैं।

10. पी.डब्ल्यू.2, जामवंत चौहान ने अपने बयान में कथन किया कि उन्होंने छेदी लाल के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था। रिपोर्ट लिखने के बाद, वह अपीलार्थी तिलक धारी मौर्य से मिले, जिसने उनके सामने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसने प्रमिला देवी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया, तो उसने गला घोटकर उसकी हत्या कर दिया और उसका शव "नाले" में फेंक दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ग्रामीणों को झूठी सूचना दी है कि मृतक का तीन व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया था।

11. पी.डब्ल्यू.3, छेदी लाल ने कथन किया कि अपीलार्थी उसका चचेरा भाई है और जब वह शाम 7:20 बजे ट्रांजिस्टर पर समाचार सुन रहा था, तब मृतक की माँ उसके पास आई और दोनों अपीलार्थी के घर गए। अपीलार्थी ने उन्हें सूचित किया कि रास्ते में तीन व्यक्ति मिले और पी.डब्ल्यू.1 की बेटी और उसकी साइकिल ले गए। उसने स्वीकार किया कि उसके कहने पर पी.डब्ल्यू.2 जामवंत चौहान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

12. पी.डब्ल्यू.4, राज कुमार यादव पंचायतनामा के साक्षी हैं।

13. पी.डब्ल्यू.5, डॉ. जे.पी त्रिपाठी शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर हैं, जिन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित चोटें पाई :-

1. गर्दन के दोनों ओर सामने और बाहरी हिस्से पर 12 सेमी x 8 सेमी के कई नाखूनों के निशान।
कुल संख्या 10 है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. चेहरे के बाईं ओर 6 सेमी x 5 सेमी के कई नाखूनों के निशान। कुल संख्या चार है।
3. योनि के प्रवेश द्वार के चारों ओर 0.5 सेमी का विदीर्ण घाव, हाइमन फटा हुआ।
14. पी.डब्ल्यू.6, एस.आई. परमहंस जी तिवारी ने सिद्ध किया कि उन्होंने मृतक के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के संबंध में दस्तावेज़ तैयार किए थे।
15. पी.डब्ल्यू.7, एस.आई. मोहम्मद सिद्दीकी ने सिद्ध किया कि उन्होंने मृतक का शव बरामद किया और पंचायतनामा की कार्यवाही किया, साक्षीगण के बयान अंकित किए, स्थल निरीक्षण किया, नक्शा-नजरी तैयार किया और वाद को धारा 302, 376/511, 201 भा.द.सं. में परिवर्तित किया।
16. पी.डब्ल्यू.8, फूल चंद्र यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने छेदी लाल मौर्य द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया और तदनुसार जी.डी. प्रविष्टि किया।
17. पी.डब्ल्यू.9, कांस्टेबल दिनेश ने सिद्ध किया कि उनके सामने शव का पंचायतनामा किया गया और शव को कांस्टेबल सुरेश के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए उनके सामने भेजा गया।
18. पी.डब्ल्यू.10, राजबली ने सिद्ध किया कि वह एक ओझा (exorcist) हैं और अपीलार्थी दोपहर लगभग 2:30 बजे मृतक के साथ उसके पास आया था और 3:00 बजे वापस चला गया।
19. पी.डब्ल्यू.11, जवाहर मौर्य ने सिद्ध किया कि मृतक का शव "नाले" के पास घास में बरामद किया गया था और अभियुक्त-अपीलार्थी ने जसवंत (पी.डब्ल्यू.2) के सामने मृतक की हत्या करने की बात स्वीकार किया था।
20. पी.डब्ल्यू.12, उदय राज यादव ने स्वीकार किया कि एस.आई. पी.डब्ल्यू.7 मोहम्मद सिद्दीकी द्वारा पीड़िता के योनि स्वाब को एफ.एस.एल. भेजे जाने के बाद, उन्होंने इस वाद की विवेचना किया और अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
21. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपीलार्थी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा विचारण न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतक की माँ पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी बेटी के विरुद्ध कथित अपराध करने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कोई अभिकथन नहीं किया था; पी.डब्ल्यू.2 जामवंत चौहान एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति पुलिस अत्याचारों के कारण दर्ज की गई थी; पी.डब्ल्यू.3 मृतक का चचेरा भाई है और उसने घटना को सिद्ध नहीं किया, बल्कि केवल अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना सिद्ध किया; अपीलार्थी की साइकिल कभी बरामद नहीं हुई; शव-परीक्षण डॉक्टर ने राय दी कि मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटने और दम घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध था; अपीलार्थी को आई चोट का अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया; विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के बचाव पर विचार नहीं किया गया; मृतक की योनि स्वाब रिपोर्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया; अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.11 के समक्ष अपीलार्थी की न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक बहुत ही कमजोर हिस्सा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995, लासूट (एससी) 1050** के वाद में अभिनिर्धारित किया है।

23. विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का कड़ा विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल उसकी न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि अभियोजन द्वारा उचित संदेह से परे सिद्ध किए गए वाद के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर है।

24. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथन किए गए थे। यह अभिकथन था कि लड़की का अपहरण पैंट और शर्ट पहने तीन अज्ञात अभियुक्तों द्वारा किया गया था और अपीलार्थी की साइकिल, जिस पर वह मृतक के साथ गाँव लौट रहा था, छीन ली गई थी। यह पारिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रकरण है। अपीलार्थी के विरुद्ध 'अंतिम बार देखे जाने' का साक्ष्य भी है। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मृतक को ले जाने के बाद, उन्होंने अपीलार्थी को भी पीटा होगा और स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले मृतक की माँ और ग्रामीणों को सूचित करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसका आचरण दर्शाता है कि उसने किसी को सूचित नहीं किया और पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.3 के लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर जाने के बाद ही, उसने उन्हें घटना के बारे में सूचित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उसका आचरण उसके विरुद्ध अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करता है। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या के अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके द्वारा मृतक के अपहरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। चिकित्सा साक्ष्य सिद्ध करता है कि मृतक की गर्दन के दोनों ओर सामने और बाहरी हिस्से पर नाखूनों के कई निशान थे, कुल संख्या 10 और उसके चेहरे के बाईं ओर नाखूनों के कई निशान थे, कुल संख्या चार, और योनि के प्रवेश द्वार के चारों ओर 0.5 सेमी का विदीर्ण घाव और हाइमन फटा हुआ पाया गया। मृतक को आई चोटें एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा भी कारित की जा सकती थीं, जो स्पष्ट नहीं हैं। उसकी योनि रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास भी किया गया था। घटना एक सुनसान जगह पर हुई थी और घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अपीलार्थी की साइकिल की बरामदगी न होना यह सिद्ध करता है कि पुलिस ने प्रकरण को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया और केवल अपीलार्थी को फँसा दिया। पी.डब्ल्यू.2 ने बताया है कि अपीलार्थी उसके पास आया और उसके सामने अपना जुर्म स्वीकार किया। पी.डब्ल्यू.2 के सामने अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति की पुष्टि पी.डब्ल्यू.11 के बयान से भी होती है।

25. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, विचार करने योग्य है। पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.11 न तो गाँव के प्रधान हैं, न सरपंच और न ही कोई सार्वजनिक अधिकारी, जो अपीलार्थी को दोषसिद्धि से बचा सकते थे, यदि अपीलार्थी ने उनके सामने घटना के बारे में स्वीकारोक्ति की होती। वे सामान्य ग्रामीण भी हैं और अपीलार्थी ने उनके सामने न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति क्यों की, यह समझना कठिन है।

26. हम आगे पाते हैं कि इसी घटना के दो संभावित दृष्टिकोण हैं। (1) अपीलार्थी और किसी अन्य व्यक्ति ने कथित अपराध नहीं किया और (2) अज्ञात अभियुक्तों ने कथित अपराध किया। अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.11 के समक्ष न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति और पीड़िता के विरुद्ध बलात्कार का अपराध करने की मंशा तथा "नाले" के पास घास से शव की बरामदगी को पुष्टिकारक पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना है। घटना एक खुली जगह पर हुई थी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल अपीलार्थी को ही इसकी विशेष जानकारी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने **सी.के. रवींद्रन बनाम केरल राज्य, एआईआर, 2000, एस.सी. 369** के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त की न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भरोसा करने से पहले न्यायालय को सटीक शब्दों या जहाँ तक संभव हो उच्चारित शब्दों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। यदि उपरोक्त शब्दों को दोहराया नहीं जाता है, तो बयान को स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता है और ऐसे वादों में ऐसी परिस्थितियों को विचार से बाहर रखा जा सकता है। **बलविंदर सिंह (उपरोक्त)** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार है और इसके विश्लेषण में बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। जहाँ यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह अपना महत्व खो देती है।

27. हमने पाया कि पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.7 के बयान में अपीलार्थी द्वारा स्वीकारोक्ति करने में उपयोग किए गए सटीक शब्दों को दोहराया नहीं गया था। इसके अलावा पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के वाद में; जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें न केवल अभियोजन द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि उन सभी को मिलकर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करे और उसकी बेगुनाही के साथ असंगत किसी भी अन्य दृष्टिकोण को बाहर कर दे।

28. हमारा विचार है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध उचित संदेह से परे वाद सिद्ध करने में विफल रहा है।

29. वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, वाराणसी की आख्या दिनांक 13.12.2025 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को सजा में छूट देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। उसने 13.12.2025 तक बिना परिहार के 23 वर्ष और 23 दिन की सजा पूर्ण कर लिया है और 13.12.2025 तक परिहार के साथ 31 वर्ष 2 महीने और 23 दिन की सजा पूर्ण कर लिया है। अपीलार्थी अब लगभग 47 वर्ष का है।

30. उपरोक्त विचार के आलोक में और वाद के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश को निरस्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को तत्काल रिहा कर दिया जाए।

31. अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



32. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस न्यायालय के निर्णय और आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

25 फरवरी, 2026

अतुल कुमार श्रीवास्तव

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।